<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

रघुनाथ सिंह

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार लूणी)

सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353413496967989</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>19/08/25</td><td>अपीलार्थी रघुनाथ सिंह निवासी भाटी स्कूल के सामने, शिकारपुरा रोड सालावास, लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 05.08.2025 को खसरा नंबर 303 (ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन, पटवारी हल्का सालावास, भू.अ. नि. क्षेत्र काकाणी) गै. मु. रास्ता खोलने बाबत तहसीलदार साहब द्वारा पत्र क्रंमाक/राजस्व/2025/297–98 दिनांक 16.05.2025 को भू.अ. निरीक्षक कांकाणी व पटवारी हल्का सालावास को जारी किया गया, इस पत्र के अनुसार आज दिनांक तक की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td><td></td></tr>
</table>

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.08.19 17:48:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17260121